GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COOPERATION

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO. 184
ANSWERED ON 20/12/2023

Cooperative Societies to promote small traders

184 **SHRI K.R.N. RAJESHKUMAR:**

Will the Minister of COOPERATION be pleased to state:

(a) whether Government is planning to establish co-operative banks/ societies to promote small merchants, traders and farmers;
(b) if so, the details of the steps taken and if not, the reasons therefor;
(c) whether Government has any plan to establish District Cooperative Bank in Namakkal District of Tamil Nadu; and
(d) if so, by when it will be established, if not, the reasons therefor?

ANSWER

MINISTER OF COOPERATION
(SHRI AMIT SHAH)

(a) to (d): A statement is laid on the Table of the House.

Statement referred to in reply to parts (a) to (d) in respect of Rajya Sabha Starred Question no. 184 for reply on 20th December, 2023 regarding Cooperative Societies to promote small traders asked by Shri K. R. N. Rajeshkumar.

(a) & (b): In order to realise the vision of 'Sahakar Se Samriddhi', Government of India with active participation of various States/ UTs has taken various initiatives to strengthen cooperative sector across the country, including rural and urban cooperative banks. With the support of Reserve Bank of India, Government of India has taken a series of steps to remove difficulties being faced by rural and urban cooperative banks and bring them at par with commercial banks, the details of which are enclosed at **Annexure-I**.

To promote farmer members, Government of India has approved a proposal to set up new multi-purpose PACS or primary dairy/ fisheries cooperatives covering every Panchayat/ village in the next five years, with support of National Bank for Agriculture and Rural Development (NABARD), National Dairy Development Board (NDDB), National Fisheries Development Board (NFDB), National Cooperative Development Corporation (NCDC) and other National level Federations. As reported by the States/ UTs, the process for registering 9,961 new PACS/ Dairy/ Fishery cooperative societies in 24 States/ UTs is in various stages.

Further, to benefit the associated members including small merchants, traders, etc., PACS have now become multi-purpose by adoption of Model by-laws. Now, PACS are able to diversify their business activities by undertaking more than 25 business activities, including dairy, fishery, floriculture, setting up godowns, procurement of foodgrains, fertilizers, seeds, LPG/CNG/Petrol/Diesel distributorship, short-term & long-term credit, custom hiring centers, common service centers, Fair Price Shops (FPS), community irrigation, Business Correspondent activities, Jan Aushadhi Kendra etc.

Ministry of Cooperation has taken various other initiatives which aim at providing cooperative members which also include farmers, small merchants, traders, etc., with requisite forward and backward linkages to market agri produce, obtain credit and other services at the Panchayat/ village level itself, generate multiple and stable revenue streams for them, thus making them self-reliant. A list of such initiatives taken by the Ministry of Cooperation for development of Cooperative Sector is enclosed at **Annexure-II**.

Incorporation, Regulation and Winding-up of Multi-State Cooperative Societies/Banks are done by Central Registrar of Cooperative Societies, as per the Multi-State Cooperative Societies Act 2002, while at the State-level, it is done by State Registrar of Cooperative Societies as per the State Cooperative Acts. Also, Cooperative banks are licensed as per the regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India under the provisions of Banking Regulation Act 1949.

(c) & (d): As per the information received from NABARD, its Regional Office (Tamil Nadu) has been advised to deliberate the issue with the State Government, to establish District Cooperative Bank in Namakkal District. Further, the matter is under consideration of the Registrar of Cooperative Societies, Government of Tamil Nadu and a five-member committee has been constituted to look into the feasibility of bifurcating Salem Central Cooperative Bank and establishing a new Central Cooperative Bank for Namakkal District.

*****

Annexure-I

Strengthening the Urban and Rural Cooperative Banks

1. **UCBs have been allowed to open new branches to expand their business:** UCBs can now open new branches up to 10% (maximum 5 branches) of the existing number of branches in the previous financial year without prior approval of RBI.

2. **UCBs have been allowed by RBI to offer doorstep services to their customers:** Door step banking facility can now be provided by the UCBs. Account holders associated with these banks can now avail various banking facilities at home such as cash withdrawal, cash deposit, KYC, demand draft and life certificate for pensioners, etc.

3. **Cooperative banks have been allowed to make one-time settlement of outstanding loans, like Commercial Banks:** Co-operative banks, through board-approved policies, can now provide process for technical write-off as well as settlement with borrowers.

4. **Time limit increased to achieve Priority Sector Lending (PSL) targets given to UCBs**: RBI has extended the timeline for UCBs to achieve Priority Sector Lending (PSL) targets by two years i.e., up to March 31, 2026.

5. **A Nodal Officer designated in RBI for regular interaction with UCBs**: In order to meet the long pending demand of the cooperative sector for closer coordination and focused interaction, RBI has notified a nodal officer as well.

6. **Individual housing loan limit more than doubled by RBI for Rural and Urban Co-operative Banks:**
    a. Housing loan limit of Urban cooperative banks have now been doubled from Rs 30 lakh to Rs 60 lakh.
    b. Housing loan limit of Rural cooperative banks has been increased to two and a half times to Rs 75 lakh.

7. **Rural Co-operative Banks will now be able to lend to commercial real estate/ residential housing sector, thereby diversifying their business**: This will not only help Rural co-operative banks to diversify their business, but benefit Housing co-operative societies also.

8. **License fee reduced for Cooperative Banks**: License fee for onboarding Cooperative Banks to 'Aadhaar Enabled Payment System' (AePS) has been reduced by linking it to the number of transactions. Cooperative financial institutions will also be able to get the facility free of cost for the first three months of the pre-production phase. With this, farmers will now be able to get the facility of banking at their home with their fingerprints.

9. **Non-scheduled UCBs, StCBs and DCCBs notified as Member Lending Institutions (MLIs) in CGTMSE Scheme to increase the share of cooperatives in lending:** The co-operative banks will now be able to take advantage of risk coverage up to 85 percent on the loans given. Also, cooperative sector enterprises will also be able to get collateral free loans from co-operative banks now.

10. **Notification of Scheduling norms for including Urban Co-operative Banks:** UCBs that meet the 'Financially Sound and Well Managed' (FSWM) criteria and have maintained the minimum deposits required for classification as Tier 3 for the last two years are now eligible to be included in Schedule II of the Reserve Bank of India Act 1934 and get 'Scheduled' status.

11. **Monetary ceiling doubled by RBI for Gold Loan:** RBI has doubled monetary ceiling from Rs. 2 lakh to Rs.4 lakh, for those UCBs that meet the PSL targets.

12. **Umbrella Organization for Urban Cooperative Banks**: RBI has accorded approval to the National Federation of Urban Co-operative Banks and Credit Societies Ltd. (NAFCUB) for the formation of an Umbrella Organization (UO) for the UCB sector, which will provide necessary IT infrastructure and operation support to around 1,500 UCBs.

Annexure-II

Various Initiatives by Ministry of Cooperation

Ministry of Cooperation, since its inception on 6th July, 2021, has undertaken several initiatives to realize the vision of "Sahakar-se-Samriddhi" and to strengthen & deepen the cooperative movement from Primary to Apex level Cooperatives in the country. List of initiatives taken and progress made so far are as follows:

A. Making Primary Cooperatives economically vibrant and transparent

1. **Model Bye-Laws for PACS making them multipurpose, multidimensional and transparent entities**: Government, in consultation with all the stakeholders, including States/ UTs, National Level Federations, State Cooperative Banks (StCBs), District Central Cooperative Banks (DCCBs), etc., has prepared and circulated Model Byelaws for PACS to all the States/ UTs, which enable PACS to undertake more than 25 business activities, improve governance, transparency and accountability in their operations. Provisions have also been made to make the membership of PACS more inclusive and broad-based, giving adequate representation to women and Scheduled Castes/Schedules Tribes. Model Byelaws have been adopted by 31 States/ UTs so far.

2. **Strengthening of PACS through Computerization**: In order to strengthen PACS, project for Computerization of 63,000 functional PACS with a total financial outlay of ₹2,516 Crore has been approved by the Government of India, which entails bringing all functional PACS in the Country onto a common ERP based national software, linking them with NABARD through StCBs and DCCBs. A total of 62,318 PACS from 28 States/ UTs have been sanctioned under the project. Software is ready and trials have already started in 5,673 PACS in 26 States/ UTs so far.

3. **New Multipurpose PACS/ Dairy/ Fishery Cooperatives in uncovered Panchayats**: A proposal has been approved by the Government to set up new multi-purpose PACS or primary dairy/ fisheries cooperatives covering every Panchayat/ village in the next five years, with support of NABARD, NDDB, NFDB, NCDC and other National level Federations. As reported by the States/ UTs, the process for registering 9,961 new PACS/ Dairy/ Fishery cooperative societies in 24 States/ UTs is in various stages.

4. **World's Largest Decentralized Grain Storage Plan in Cooperative sector**: Government has approved a plan to create warehouses, custom hiring centres, primary processing units and other agri-infra for grain storage at PACS level, by converging various schemes of Government such as AIF, AMI, SMAM, PMFME, etc. This will reduce wastage of food grains and transportation costs, enable farmers to realize better prices for their produce and meet various agricultural needs at the PACS level itself. 22 States/ UTs and National level Cooperative Federations such as National Cooperative Consumers Federation (NCCF) and National Agricultural Cooperative Marketing Federation of India Ltd. (NAFED), have identified 1,711 PACS for creation of storage capacity under the Pilot Project. At present, construction is going in 13 PACS of 13 States/ UTs under the Pilot Project.

5. **PACS as Common Service Centers (CSCs) for better access to e-services**: MoU has been signed between Ministry of Cooperation, MeitY, NABARD and CSC e-Governance Services India Limited for providing more than 300 e-services such as banking, insurance, Aadhar enrolment/ updation, health services, PAN card and IRCTC/ Bus/ Air ticket, etc. through PACS. So far, 24,470 PACS have started providing CSC services to the rural citizens which will also result in increase in income of those PACS at the same time.

6. **Formation of new Farmer Producer Organizations (FPOs) by PACS**: Government has allowed 1,100 additional FPOs to be formed by PACS with the support of NCDC, in those blocks where FPOs have not yet been formed or the blocks are not covered by any other implementing agency. This will be helpful in providing the farmers with necessary market linkage and get fair and remunerative prices for their produce.

7. **PACS given priority for Retail Petrol/ Diesel outlets**: Government has allowed PACS to be included in the Combined Category 2 (CC2) for allotment of retail petrol/ diesel outlets. As per information received from Oil Marketing Companies (OMCs), a total of 228 PACS have applied online for retail petrol/ diesel outlets.

8. **PACS given permission to convert bulk consumer petrol pumps into retail outlets**: Based on the discussions with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, guidelines have been issued to convert the existing bulk consumer licensee PACS into retail outlets for increasing the profit of PACS and generate employment opportunities in rural areas. 109 PACS from 5 States having wholesale consumer pumps have given consent for conversion into Retail Outlets, out of which 43 PACS have received Letter of Intent (LOI) from the OMCs.

9. **PACS eligible for LPG Distributorship for diversifying its activities**: Government has now allowed PACS to apply for LPG Distributorships. This will give PACS an option to increase their economic activities and create new employment opportunities in rural areas. Two locations have already been advertised in the State of Jharkhand.

10. **PACS as PM Bharatiya Jan Aushadhi Kendra for improving access to generic medicines at rural level**: Government is promoting PACS to operate Pradhan Mantri Bhartiya Janaushadhi Kendras which will provide additional income source to them and provide easy access of generic medicines to rural citizens. So far, 4,289 PACS/ cooperative societies have applied online for PM Janaushadhi Kendras, out of which 2,293 PACS have been given initial approval also.

11. **PACS as Pradhan Mantri Kisan Samriddhi Kendras (PMKSK):** Government is promoting PACS to operate PMKSK for ensuring easy accessibility of fertilizer & related services to farmers in the country. As per the information shared by States/ UTs, 28,648 PACS are functioning as PMKSK so far.

12. **Convergence of PM-KUSUM at PACS level**: Farmers associated with PACS can adopt solar agricultural water pumps and install photovoltaic modules in their farms.

13. **PACS to carry out O&M of rural piped water supply schemes (PWS)**: In order to utilize the reach of PACS in rural areas, on the initiative of the Ministry of Cooperation, Ministry of Jal Shakti has made PACS as eligible agencies to carry out the Operations & Maintenance (O&M) of PWS in rural areas. As per information received from States/ UTs, 1,381 PACS have been identified by 12 States/ UTs to provide O&M services at Panchayat/ Village level.

14. **Micro-ATMs to Bank Mitra Cooperative Societies for providing doorsteps financial services**: Dairy and Fisheries cooperative societies can be made Bank Mitras of DCCBs and StCBs to ensure their ease of doing business, transparency and financial inclusion, Micro-ATMs are also being given to these Bank Mitra Co-operative Societies with support from NABARD to provide 'Door Step Financial Services'. As a pilot project, 1,723 Micro-ATMs have been distributed to Bank Mitra cooperative societies in Panchmahal and Banaskantha Districts of Gujarat.

15. **Rupay Kisan Credit Card to Members of Milk Cooperatives**: In order to expand the reach of DCCBs/ StCBs and to provide necessary liquidity to the members of Dairy Cooperative societies, Rupay Kisan Credit Cards (KCCs) are being distributed to the members of cooperatives for providing credit at comparatively lower interest rates and enable other financial transactions. As a pilot project, 73,503 Rupay KCC have been distributed in Panchmahal and Banaskantha Districts of Gujarat.

16. **Formation of Fish Farmer Producer Organization (FFPO)**: In order to provide market linkage and providing processing facilities to the fishermen, NCDC has registered 69 FFPOs in the initial phase. Department of Fisheries, Government of India has further allocated conversion of 1000existing fisheries cooperative societies into FFPOs to NCDC, with an approved outlay of Rs 225.50 crore.

B. <u>Relief to Cooperative Societies in the Income Tax Act</u>

17. **Surcharge reduced from 12 % to 7% for co-operative societies having income between Rs. 1 to 10 Cr.:** This will reduce the burden of Income Tax on Cooperative Societies and more capital will be available with them to work for the benefit of their members.

18. **MAT reduced for cooperatives from 18.5% to 15%:** With this provision, now there is parity between Cooperative Societies and Companies in this regard.

19. **Relief in cash transactions under section 269ST of the Income Tax Act:** In order to remove difficulties in cash transactions by cooperatives under Section 269ST of IT Act, Government has issued a clarification that cash transaction of less than Rs. 2 lakhs done by a cooperative society with its distributor in a day will be considered separately, and will not be charged with income tax penalty.

20. **Tax cut for new manufacturing Cooperative societies:** Government has decided that a flat lower tax rate of 15% will be charged, compared to an earlier rate of up to 30% plus surcharge, for new cooperatives commencing manufacturing activities by March 31, 2024. This will encourage the formation of new cooperative societies in the manufacturing sector.

21. **Increase in limit of Cash Deposits and Cash Loans by PACS and PCARDBs:** Government has enhanced the limit for Cash Deposits and Cash Loans by PACS and Primary Cooperative Agriculture and Rural Development Banks (PCARDBs) from Rs 20,000 to Rs 2 lakh per member. This provision will facilitate their activities, increase their business and benefit members of their societies.

22. **Increase in the limit of Tax Deducted at Source (TDS) in Cash Withdrawal:** Government has increased the cash withdrawal limit of cooperative societies without deduction of tax at source from Rs.1 crore to Rs.3 crore per year. This provision will save Tax Deducted at Source (TDS) for cooperative societies, which will enhance liquidity of the cooperative society.

C. <u>Revival of Cooperative Sugar Mills</u>

23. **Relief from Income Tax to Sugar Cooperative Mills**: Government has issued a clarification that Sugar cooperative mills would not be subjected to additional income tax for paying higher sugarcane prices to farmers up to Fair and Remunerative or State Advised Price, from April, 2016 onwards.

24. **Resolution of decades old pending issues related to Income Tax of Sugar Cooperative Mills**: Government has made a provision in its Union Budget 2023-24, wherein Sugar cooperatives have been allowed to claim as expenditure their payments to sugarcane farmers for the period prior to assessment year 2016–17, giving a relief of more than Rs.10,000 crores.

25. **Rs. 10,000 crore loan scheme launched for strengthening of Sugar Cooperative Mills**: Government has launched a scheme through NCDC for setting up ethanol plants or cogeneration plants or for working capital or for all three purposes. Loan amount of Rs. 3,010 cr. has been sanctioned by NCDC to 24 Cooperative Sugar Mills so far.

26. **Preference to Cooperative Sugar Mills in purchase of ethanol**: Cooperative Sugar Mills have now been put at par with private companies for ethanol procurement by Government of India under the Ethanol Blending Programme (EBP).

27. **Reduction in GST on molasses from 28% to 5%:** Government has decided to reduce the GST on molasses from 28% to 5% which will enable cooperative sugar mills to earn more profits for its members by selling molasses to distilleries with higher margins.

D. <u>Three new Multi-State Societies at the National Level</u>

28. **New National Multi-State Cooperative Seed Society for certified seeds**: Government has established a new apex multi-state cooperative seed society under the MSCS Act,

2002, namely Bharatiya Beej Sahakari Samiti Limited (BBSSL) as an umbrella organization for quality seed cultivation, production and distribution under a single brand. 8,200 PACS/ cooperative societies from 27 States/ UTs have applied to become its members so far.

29. **New National Multi-State Cooperative Organic Society for organic farming**: Government has established a new apex multi-state cooperative organic society under the MSCS Act, 2002, namely National Cooperative Organics Limited (NCOL) as an umbrella organization to produce, distribute and market certified and authentic organic products. 2,475 PACS/ cooperative societies from 24 States/ UTs have applied to become its members so far. 6 organic products have already been launched by NCOL so far.

30. **New National Multi-State Cooperative Export Society for promoting exports**: Government has established a new apex multi-state cooperative export society under the MSCS Act, 2002, namely National Cooperative Export Limited (NCEL) as an umbrella organization to give thrust to exports from cooperative sector. 2,625 PACS/ cooperative societies from 22 States/ UTs have applied to become its members so far. Till date, NCEL has got permission to export 14.92 LMT rice to 16 countries and 50,000 MT sugar to 2 countries.

E. <u>Capacity Building in Cooperatives</u>

31. **Establishment of the Cooperative University:** Steps are being taken by Ministry of Cooperation for setting up of a National Cooperative University for Cooperative education, training, consultancy, research and development and a sustainable and quality supply of trained manpower.

32. **Promotion of training and awareness through National Council for Cooperative Training (NCCT)**: By increasing its reach, NCCT has conducted 3,287 training programs and provided training to 2,01,507 participants in FY 2022-23.

F. <u>Use of Information Technology for 'Ease of Doing Business'</u>

33. **Computerization of the Central Registrar's Office**: Central Registrar's office has been computerized to create a digital ecosystem for Multi-State Cooperative Societies, which will assist in processing applications and service requests in a time bound manner.

34. **Scheme for computerization of office of RCSs in States and Union Territories**: To increase 'Ease of doing business' for Cooperative Societies and create a digital ecosystem for transparent paperless regulation in all States/Union Territories, a Centrally Sponsored Project for computerization of RCS Offices has been approved by the Government. Grants will be provided for purchase of hardware, development of software, etc. to the States/ UTs.

35. **Computerization of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs)**: To strengthen the Long-term Cooperative Credit structure, the project of computerization of 1,851 units of Agriculture and Rural Development Banks (ARDBs) has been approved by the Government. NABARD is the implementing agency for the project and will develop a

national level software for ARDBs. Hardware, support for Digitization of legacy data, training to the employees, etc. will be provided under the project.

G. Other Initiatives

36. **New National Cooperative Database for authentic and updated data repository**: A database of cooperatives in the country has been prepared with the support of State Governments to facilitate stakeholders in policy making and implementation of programmes/ schemes related to cooperatives across the country. So far, data of around 7.86 lakh cooperatives has been captured in the database.

37. **Formulation of New National Cooperative Policy**: A National level committee comprising 49 experts and stakeholders drawn from all over the Country has been constituted to formulate the New National Cooperative Policy for enabling a vibrant ecosystem to realize the vision of 'Sahakar-se-Samriddhi'.

38. **Multi-State Co-operative Societies (Amendment) Act, 2023**: Amendment has been brought in the MSCS Act, 2002 to strengthen governance, enhance transparency, increase accountability, reform electoral process and incorporate provisions of 97th Constitutional Amendment in the Multi State Cooperative Societies.

39. **Inclusion of Cooperatives as 'buyers' on GeM portal**: Government has permitted the cooperatives to register as 'buyer' on GeM, enabling them to procure goods and services from nearly over 67 lakh vendors to facilitate economical purchases and greater transparency. So far, 559 cooperative societies have been onboarded on GeM as buyers.

40. **Expansion of National Cooperative Development Corporation (NCDC) to increase its range and depth**: NCDC has launched new schemes in various sectors such as 'Swayamshakti Sahkar' for SHGs; 'Deerghavadhi Krishak Sahkar' for long term agricultural credit and 'Dairy Sahkar' for dairy. Total financial assistance of Rs. 41,024 Crores has been disbursed by NCDC in FY 2022-23, which is almost 20% higher than the disbursement of Rs.34,221 crore in 2021-22. Government of India has permitted NCDC to issue bonds worth ₹2000 crore with government guarantee, subject to the adherence of specified terms and conditions. Further, NCDC is setting up sub-offices in 6 North Eastern States – Arunachal Pradesh, Meghalaya, Mizoram, Manipur, Nagaland and Tripura with the objective of taking various national schemes to the cooperative societies at their doorstep.

41. **Financial assistance by NCDC for Deep Sea Trawlers**: NCDC is providing financial assistance for projects related to deep sea trawlers in coordination with the Department of Fisheries, Government of India. NCDC has already sanctioned financial assistance of Rs 20.30 crore for purchase of 14 deep sea trawlers for the Fisheries Cooperative Societies of Maharashtra.

42. **Refund to Investors of Sahara Group of Societies**: A portal has been launched for making payments to the genuine depositors of the cooperative societies of Sahara Group

in a transparent manner. Disbursement have already started after proper identification and submission of proof of their deposits and claims.

*****

भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

राज्य सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 184
बुधवार, 20 दिसम्बर, 2023 (29 अग्रहायण, 1945 (शक)) को उत्तरार्थ

छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियां

184 **श्री के. आर. एन. राजेश कुमारः**

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क)क्या सरकार छोटे व्यापारियों, व्यवसायियों और किसानों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी बैंक / समितियां स्थापित करने की योजना बना रही है;
(ख)यदि हां, तो उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(ग) क्या सरकार की तमिलनाडु के नामक्कल जिले में जिला सहकारी बैंक स्थापित करने की कोई योजना है; और
(घ) यदि हां, तो इसे कब तक स्थापित किया जाएगा, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

सहकारिता मंत्री
(श्री अमित शाह)

(क) से (घ): सदन के पटल पर विवरण रखा गया है ।

दिनांक 20 दिसम्बर, 2023 को उत्तरार्थ "छोटे व्यापारियों को बढ़ावा देने के लिए सहकारी समितियां" के संबंध में, संसद सदस्य श्री के. आर. एन. राजेश कुमार द्वारा उठाए गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 184 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क) एवं (ख): 'सहकार से समृद्धि' की संकल्पना को साकार करने हेतु, भारत सरकार ने विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की सक्रिय भागीदारी के साथ ग्रामीण तथा शहरी सहकारी बैंकों सहित देश भर में सहकारी क्षेत्र को सशक्त करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं । भारतीय रिजर्व बैंक के समर्थन से, भारत सरकार ने ग्रामीण तथा शहरी सहकारी बैंकों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और उन्हें वाणिज्यिक बैंकों के समतुल्य लाने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनका विवरण **अनुबंध-I** में संलग्न है।

किसान सदस्यों को बढ़ावा देने के लिए, भारत सरकार ने अगले पांच वर्षों में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी), राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (एनएफडीबी), राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) और अन्य राष्ट्रीय स्तर के संघों के समर्थन से प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करते हुए नए बहुउद्देश्यीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मत्स्य पालन सहकारी समितियों की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किया गया है कि 24 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में 9,961 नए पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

इसके अतिरिक्त, छोटे व्यापारियों, व्यवसायियों आदि सहित संबद्ध सदस्यों को लाभ पहुंचाने के लिए, पैक्स अब मॉडल उपनियमों को अपना-कर बहुउद्देश्यीय बन गए हैं। अब पैक्स डेयरी, मत्स्य पालन, पुष्प-कृषि, गोदामों की स्थापना, खाद्यान्न, उर्वरक, बीज की खरीद, एलपीजी/सीएनजी/पेट्रोल/डीजल वितरण, अल्पकालिक और दीर्घकालिक ऋण, कस्टम हायरिंग सेंटर, सामान्य सेवा केंद्र, उचित मूल्य की दुकानें, समुदायिक सिंचाई, बैंक मित्र गतिविधि, जन औषधि केंद्र सहित 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ करके अपनी व्यावसायिकता में विविधता ला रहे हैं ।

सहकारिता मंत्रालय ने कई अन्य पहलें की हैं जिनका उद्देश्य सहकारी समितियों के सदस्यों, जिनमें किसान, छोटे व्यापारी, व्यापारी आदि भी शामिल हैं, को कृषि उपज के विपणन के लिए आवश्यक फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज प्रदान करना, पंचायत/ग्राम स्तर पर ही ऋण और अन्य सेवाएं प्रदान करना, उनके लिए अनेक स्थिर राजस्व स्रोत उत्पन्न करके उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा की गई पहलों की सूची **अनुबंध-II** में संलग्न है।

बहु-राज्य सहकारी समितियों/बैंकों का निगमन, विनियमन और समापन, बहु-राज्य सहकारी समिति अधिनियम 2002 के अनुसार, सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक द्वारा किया जाता है, जबकि राज्य स्तर पर, यह राज्य सहकारी अधिनियमों के अनुसार राज्य के सहकारी समितियों के पंजीयक द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सहकारी बैंकों को बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों के अनुसार लाइसेंस दिया जाता है।

(ग) एवं (घ): नाबार्ड से प्राप्त जानकारी के अनुसार, इसके क्षेत्रीय कार्यालय (तमिलनाडु) को नाबार्ड द्वारा नामक्कल जिले में जिला सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राज्य सरकार के साथ इस मुद्दे पर विचार-विमर्श करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, यह मामला तमिलनाडु सरकार के सहकारी समितियों के पंजीयक के विचाराधीन है तथा सेलम केंद्रीय सहकारी बैंक को विभाजित करके नामक्कल जिले के लिए एक नया केंद्रीय सहकारी बैंक स्थापित किये जाने की व्यवहार्यता की जांच हेतु एक पांच सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

*****

अनुबंध-I

<u>शहरी एवं ग्रामीण सहकारी बैंको के सुदृढ़ीकरण हेतु सहकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न पहलें</u>

1. **यूसीबी को व्यापार विस्तार करने हेतु नई शाखाएं खोलने की अनुमति:** शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) अब आरबीआई की पूर्वानुमति के बिना पिछले वित्तीय वर्ष में मौजूदा शाखाओं की संख्या का 10% (अधिकतम 5 शाखाएँ) तक नई शाखाएँ खोल सकते हैं।

2. **आरबीआई द्वारा यूसीबी को अपने ग्राहकों को डोर-स्टेप सेवाएं प्रदान करने की अनुमति:** यूसीबी द्वारा अब डोर स्टेप बैंकिंग सुविधा प्रदान की जा सकती है । इन बैंकों से जुड़े खाताधारक अब घर पर ही विभिन्न बैंकिंग सुविधाओं, जैसे नकद निकासी एवं नकद जमा, केवाईसी, डिमांड ड्राफ्ट, पेंशनभोगियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र, आदि का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

3. **सहकारी बैंकों को वाणिज्यिक बैंकों की तरह बकाया ऋणों का एकमुश्त निपटान करने की अनुमति:** सहकारी बैंक बोर्ड-अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अब तकनीकी राइट-ऑफ के साथ-साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं।

4. **यूसीबी को दिए गए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समय सीमा बढ़ाई गई:** आरबीआई द्वारा यूसीबी के लिए पीएसएल के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा दो साल अर्थात 31 मार्च, 2026 तक बढ़ा दिया गया है।

5. **यूसीबी के साथ नियमित संवाद हेतु आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित:** सहकारिता क्षेत्र की गहन समन्वय और केंद्रित संवाद की लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करने हेतु आरबीआई द्वारा एक नोडल अधिकारी अधिसूचित किया गया है।

6. **आरबीआई द्वारा ग्रामीण तथा शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण सीमा दोगुनी से अधिक की गई:**

a. शहरी सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा अब 30 लाख रुपये से दोगुनी कर 60 लाख रुपये कर दी गई है।

b. ग्रामीण सहकारी बैंकों की आवास ऋण सीमा ढाई गुना बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दी गई है।

7. **ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट/रिहाइशी आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम होंगे, जिससे उनके व्यवसाय में विविधता आएगी:** इससे न केवल ग्रामीण सहकारी बैंकों को अपने व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि हाउसिंग सहकारी समितियों को भी लाभ होगा।

8. **सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क कम किया गया:** सहकारी बैंकों को 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (एईपीएस) से जोड़ने के लिए लाइसेंस शुल्क को लेनदेन की संख्या से

जोड़कर कम कर दिया गया है। सहकारी वित्तीय संस्थान भी प्री-प्रोडक्शन चरण के पहले तीन महीनों में यह सुविधा निःशुल्क प्राप्त कर सकेंगे । इससे अब किसानों को बायोमेट्रिक के माध्यम से घर बैठे ही बैंकिंग की सुविधा प्राप्त हो सकेगी ।

9. **ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गैर-अनुसूचित यूसीबी, एसटीसीबी और डीसीसीबी को सीजीटीएमएसई योजना में सदस्य ऋण संस्थानों (एमएलआई) के रूप में अधिसूचित किया गया:** सहकारी बैंक अब दिए गए कर्ज पर 85 फीसदी तक जोखिम कवरेज का लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्र के उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलैटरल मुक्त ऋण मिल सकेगा।

10. **शहरी सहकारी बैंकों को शामिल करने हेतु शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना:** वे यूसीबी जो 'वित्तीय रूप से मजबूत और अच्छी तरह से प्रबंधित' (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा पिछले दो वर्षों से टियर 3 के रूप में वर्गीकरण हेतु आवश्यक न्यूनतम जमा राशि बनाए हुए हैं, अब भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची II में शामिल होने के लिए पात्र हैं तथा 'अनुसूचित' का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं।

11. **गोल्ड लोन के लिए आरबीआई द्वारा मौद्रिक सीमा दोगुनी की गई:** आरबीआई द्वारा पीएसएल लक्ष्यों को पूरा करने वाले यूसीबी के लिए मौद्रिक सीमा को 2 लाख रुपये से दोगुना कर 4 लाख रुपये कर दिया गया है ।

12. **शहरी सहकारी बैंकों के लिए अंब्रेला संगठन:** आरबीआई द्वारा यूसीबी क्षेत्र के लिए एक अम्ब्रेला संगठन (यूओ) की स्थापना हेतु नेशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड (नैफकब) को मंजूरी दे दी गई है, जिससे लगभग 1,500 यूसीबी को आवश्यक आईटी अवसंरचना और संचालन में सहायता मिलेगी।

*****

अनुबंध-II

<u>सहकारिता मंत्रालय द्वारा विभिन्न अन्य पहलें</u>

सहकारिता मंत्रालय ने दिनांक 6 जुलाई, 2021 को अपने गठन के बाद से, "सहकार-से-समृद्धि" की संकल्पना को साकार करने और देश में पैक्स से लेकर शीर्ष स्तर की सहकारी समितियों तक सहकारी आंदोलन को मजबूत एवं सशक्त बनाने के लिए कई पहल की हैं। अब तक की गई पहलों और प्रगति की सूची निम्नवत है:

क) <u>प्राथमिक सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से जीवंत और पारदर्शी बनाना</u>

1. **पैक्स हेतु आदर्श (मॉडल) उपनियम जो उन्हें बहुउद्देशीय, बहुआयामी तथा पारदर्शी संस्थाएं बनाते हैं**: सरकार ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रीय स्तर के संघों, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी), जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) आदि सहित सभी हितधारकों के परामर्श से, पैक्स के लिए आदर्श (मॉडल) उपनियम तैयार करके सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित किए हैं, जो पैक्स को 25 से अधिक व्यावसायिक गतिविधियाँ करने में तथा अपने संचालन, पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। महिलाओं तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व देते हुए पैक्स की सदस्यता को अधिक समावेशी एवं व्यापक बनाने के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। मॉडल उपनियमों को अब तक 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनाया गया है।

2. **कम्प्यूटरीकरण के माध्यम से पैक्स का सुदृढ़ीकरण :** पैक्स को सुदृढ़ बनाने हेतु, 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ 63,000 कार्यात्मक पैक्स के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें देश की सभी कार्यात्मक पैक्स को सामान्य ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर लाना, राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) तथा जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) के माध्यम से नाबार्ड से जोड़ना सम्मिलित है। परियोजना के अंतर्गत 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कुल 62,318 पैक्स स्वीकृत किए गए हैं। सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है और अब तक 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की 5,673 पैक्स में परीक्षण शुरू हो गए हैं।

3. **अनाच्छादित पंचायतों में नई बहु-उद्देशीय पैक्स/ डेयरी/ मत्स्य सहकारी समितियों का गठन:** सरकार द्वारा नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, एनसीडीसी और अन्य राष्ट्रीय स्तरीय संघों के सहयोग से अगले पांच वर्षों में प्रत्येक पंचायत/गांव को कवर करते हुए नई बहु-उद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना के लिए योजना को मंजूरी दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 23 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 9,961 नई पैक्स/डेयरी/मत्स्य सहकारी समितियों को पंजीकृत करने की प्रक्रिया विभिन्न चरणों में है।

4. **सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना:** सरकार ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), कृषि यांत्रिकीकरण

पर उपमिशन (एसएमएएम), प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई), आदि विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से पैक्स स्तर पर अन्न भंडारण के लिए गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों तथा अन्य कृषि-अवसंरचनाओं के निर्माण हेतु योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे खाद्यान्न की बर्बादी तथा परिवहन लागत में कमी आयेगी, किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत प्राप्त हो सकेगी एवं विभिन्न कृषि आवश्यकताओं को पैक्स स्तर पर ही पूरा किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त, 22 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय स्तर के सहकारी संघों जैसे कि राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ (एनसीसीएफ) तथा भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कृषि विपणन महासंघ लिमिटेड (नेफेड) द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के तहत भंडारण क्षमता के निर्माण के लिए 1,711 पैक्स चिह्नित की गई हैं। वर्तमान में, पायलट प्रोजेक्ट के तहत 13 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के 13 पैक्स में निर्माण कार्य चल रहा है।

5. **ई-सेवाओं की बेहतर पहुंच हेतु सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप मे पैक्स:** पैक्स के माध्यम से बैंकिंग, बीमा, आधार नामांकन/अपडेशन, स्वास्थ्य सेवाएं, पैन कार्ड तथा आईआरसीटीसी/बस/हवाई टिकट, आदि जैसी 300 से अधिक ई-सेवाएं प्रदान करने हेतु उन्हें सक्षम बनाने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड तथा सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। अब तक 24,470 पैक्स द्वारा ग्रामीण नागरिकों को सीएससी सेवाएँ प्रदान करते हुए अपनी आय बढ़ाने का कार्य शुरू किया जा चुका है।

6. **पैक्स के माध्यम से नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) का गठन**: सरकार द्वारा ऐसे ब्लॉक में जहां अभी तक एफपीओ का गठन नहीं हुआ है या वह ब्लॉक किसी अन्य कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा कवर नहीं किए गए हैं, एनसीडीसी के सहयोग से पैक्स द्वारा 1,100 अतिरिक्त एफपीओ बनाने की अनुमति दी गई है। यह किसानों को उनकी उपज के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य तथा आवश्यक बाजार लिंकेज प्रदान करने में सहायक होगा।

7. **खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट हेतु पैक्स को प्राथमिकता**: सरकार द्वारा खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट के आवंटन हेतु पैक्स को संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी2) में शामिल करने की अनुमति दी गई है। तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कुल 228 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट हेतु ऑनलाइन आवेदन किया है।

8. **पैक्स को थोक उपभोक्ता पेट्रोल पंपों को खुदरा आउटलेट में परिवर्तित करने की अनुमति:** पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ चर्चा के आधार पर, पैक्स की आय में वृद्धि एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने हेतु मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को खुदरा दुकानों में परिवर्तित करने हेतु दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। 5 राज्यों के 109 थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स ने खुदरा दुकानों में रूपांतरण के लिए सहमति दी है, जिनमें से 43 पैक्स को ओएमसी से आशय पत्र (एलओआई) प्राप्त हुए हैं।

9. **पैक्स द्वारा अपनी गतिविधियों में विविधता लाने हेतु एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्रता:** सरकार द्वारा पैक्स को एलपीजी वितरण हेतु आवेदन करने की अनुमति दे दी गई है। इससे पैक्स को अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर सृजित करने का अवसर मिलेगा। झारखंड राज्य में दो स्थानों का विज्ञापन जारी किया जा चुका है।

10. **ग्रामीण स्तर पर जेनेरिक दवाओं की पहुंच में सुधार हेतु प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में पैक्स**: सरकार पैक्स को प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र संचालित करने हेतु बढ़ावा दे रही है, जो उन्हें अतिरिक्त आय स्रोत प्रदान करेगा तथा ग्रामीण नागरिकों को जेनेरिक दवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करेगा। अब तक 4,289 पैक्स/ सहकारी समितियों द्वारा पीएम जनऔषधि केंद्रों के लिए ऑनलाइन आवेदन किया गया है, जिनमें से 2,293 पैक्स को प्रारंभिक मंजूरी भी दे दी गई है।

11. **प्रधान मंत्री किसान समृद्धि केन्द्र (पीएमकेएसके) के रूप में पैक्स :** सरकार देश में किसानों तक उर्वरक और संबंधित सेवाओं की आसान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पैक्स को पीएमकेएसके संचालित करने हेतु बढ़ावा दे रही है। राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के अनुसार, 28,648 पैक्स पीएमकेएसके के रूप में कार्य कर रहे हैं।

12. **पैक्स स्तर पर पीएम-कुसुम का अभिसरण:** पैक्स से जुड़े किसान सौर कृषि जल पंप अपना सकते हैं और अपने खेतों में फोटोवोल्टिक मॉड्यूल स्थापित कर सकते हैं।

13. **पैक्स द्वारा ग्रामीण पाइप जलापूर्ति योजनाओं (पीडब्लूएस) का संचालन एवं रखरखाव :** ग्रामीण क्षेत्रों में पैक्स की पहुंच का उपयोग करते हुए, सहकारिता मंत्रालय की पहल पर, जल शक्ति मंत्रालय ने पैक्स को ग्रामीण क्षेत्रों में जलापूर्ति योजनाओं के संचालन तथा रखरखाव (ओएंडएम) करने की अनुमति दे दी है। राज्यों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, अभी तक 12 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पंचायत/ ग्राम स्तर पर 1,381 पैक्स को ओएंडएम सेवाएं प्रदान करने हेतु चिह्नित किया गया है।

14. **डोर-स्टेप वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो-एटीएम:** डेयरी तथा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को डीसीसीबी एवं एसटीसीबी का बैंक मित्र बनाया जा सकता है। व्यापार की सुगमता, पारदर्शिता तथा वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने हेतु, इन बैंक मित्र सहकारी समितियों को 'डोर स्टेप वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से माइक्रो-एटीएम भी प्रदान किये जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में बैंक मित्र सहकारी समितियों को 1,723 माइक्रो-एटीएम वितरित किए जा चुके हैं ।

15. **दुग्ध सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड:** ग्रामीण सहकारी बैंकों की पहुंच और डेयरी सहकारी समितियों के सदस्यों को आवश्यक चल निधि उपलब्ध कराने

के उद्देश्य से, तुलनात्मक रूप से कम ब्याज दरों पर ऋण प्रदान करने तथा अन्य वित्तीय लेनदेन में सक्षम बनाने हेतु सहकारी समितियों के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (रुपे केसीसी) वितरित किए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में 95,035 रुपे केसीसी वितरित किए जा चुके हैं।

16. **मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों का गठन (एफएफपीओ)**: मछुआरों को बाजार लिंकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने हेतु, एनसीडीसी द्वारा प्रारंभिक चरण में 69 एफएफपीओ का पंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ एनसीडीसी को 1000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को एफएफपीओ में बदलने का कार्य सौंपा है।

ख) **सहकारी समितियों के लिए आयकर अधिनियम में राहत**

17. **1 से 10 करोड़ रूपये तक की आय वाली सहकारी समितियों का अधिभार 12% से घटाकर 7% किया गया:** इससे सहकारी समितियों पर आयकर का बोझ कम पड़ेगा तथा काम के लिए उनके पास अधिक मात्रा में पूँजी उपलब्ध हो पाएगी, जिससे उनके सदस्यों को लाभ मिलेगा।

18. **सहकारी समितियों के लिए न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) को 18.5% से घटाकर 15% किया गया:** इस प्रावधान से अब सहकारी समितियों तथा कंपनियों के बीच इस मामले में समतुल्यता आ गई है ।

19. **अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत नकद लेनदेन में राहत:** सहकारी समितियों द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत नकद लेनदेन में आने वाली कठिनाइयों के निवारण हेतु सरकार द्वारा एक स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि किसी सहकारी समिति द्वारा अपने वितरक के साथ एक दिन में किए गए 2 लाख रूपये से कम के नकद लेनदेन को अलग समझा जाएगा और उस पर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जाएगा ।

20. **नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती:** सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मार्च 31, 2024 तक विनिर्माण शुरू करने वाली नई सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की सपाट दर से कर लगेगा। इससे विनिर्माण क्षेत्र में नई सहकारी समितियों के गठन को प्रोत्साहन मिलेगा।

21. **पैक्स एवं पीसीएआरडीबी द्वारा नकद जमा राशियों व नकद ऋणों की सीमा में वृद्धि:** सरकार द्वारा PACS और प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (PCARDBs) द्वारा नकद जमा और नकद ऋण की सीमा 20,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये प्रति सदस्य कर दी है। यह प्रावधान उनकी गतिविधियों को सुविधाजनक बनाएगा, उनके व्यवसाय को बढ़ाएगा और उनके समाज के सदस्यों को लाभान्वित करेगा।

22. नकद निकासी में स्रोत पर कर कटौती की सीमा में वृद्धि: सरकार द्वारा सहकारी समितियों के स्रोत पर कर कटौती किये बिना उनकी नकद निकासी की सीमा को 1 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपये प्रति वर्ष कर दिया गया है । इस प्रावधान से सहकारी समितियों को स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की बचत होगी, जिससे सहकारी समिति की तरलता में वृद्धि होगी।

ग) <u>सहकारी चीनी मिलों का पुनरुत्थान</u>

23. सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत: सरकार द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया है कि अप्रैल, 2016 उपरान्त किसानों को उचित और लाभकारी या राज्य सलाहित मूल्य तक गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर सहकारी चीनी मीलों को अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा।

24. सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लंबित मुद्दों का समाधान: सरकार द्वारा अपने केंद्रीय बजट 2023-24 में यह प्रावधान किया गया है कि चीनी सहकारी समितियों को आंकलन वर्ष 2016-17 से पूर्व गन्ना किसानों को किये गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी, जिससे उन्हें 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राहत मिली है।

25. सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकारण के लिए 10,000 करोड़ रुपये की ऋण योजना: सरकार द्वारा इथेनॉल संयंत्र या सह-उत्पादन संयंत्र स्थापित करने या कार्यशील पूंजी या तीनों उद्देश्यों के लिए एनसीडीसी के माध्यम से एक योजना शुरू की गई है। एनसीडीसी द्वारा अब तक, 24 सहकारी चीनी मिलों को 3,010 करोड़ रुपये की ऋण राशि की मंजूरी दी जा चुकी है।

26. सहकारी चीनी मिलों को एथेनॉल की खरीद में प्राथमिकता: इथेनॉल सम्मिश्रण कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत भारत सरकार द्वारा इथेनॉल खरीद के लिए सहकारी चीनी मिलों को अब निजी कंपनियों के समतुल्य रखा गया है।

27. शीरा पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया: सरकार द्वारा शीरा पर जीएसटी मौजूदा 28% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया गया है, जिससे सहकारी चीनी मिलें उच्च मार्जिन पर डिस्टिलरीज को शीरा बेचकर अपने सदस्यों के लिए अधिक मुनाफा कमा सकेंगी।

घ) <u>राष्ट्रीय स्तरीय तीन नई बहु-राज्यीय समिति</u>

28. प्रमाणित बीजों के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्यीय सहकारी बीज समिति: सरकार द्वारा एकल ब्रांड के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण बीज की खेती, उत्पादन और वितरण के लिए एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नई शीर्ष बहु-राज्य भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (**BBSSL)** की स्थापना की गई है । अब तक, 27

राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की 8,200 पैक्स/ सहकारी समितियों से सदस्यता हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

29. **जैविक खेती के लिए नई राष्ट्रीय बहु-राज्यीय सहकारी जैविक समिति:** सरकार द्वारा प्रमाणित एवं प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण एवं विपणन के लिए एमएससीएस अधिनियम, **2002** के तहत एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नई शीर्ष बहु-राज्यराष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड (**NCOL**) समिति की स्थापना की गई है। अब तक, 24 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों 2,475 पैक्स /सहकारी समितियों से सदस्यता हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। NCOL द्वारा अब तक 6 जैविक उत्पादों को लॉन्च किया जा चुका है।

30. **निर्यात को बढ़ावा देने के लिए नई राष्ट्रीय बहु राज्यीय सहकारी निर्यात समिति:** सरकार द्वारा सहकारी क्षेत्र से निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एमएससीएस अधिनियम, **2002** के तहत अम्ब्रेला संगठन के रूप में एक नई शीर्ष बहु राज्य राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (**NCEL**) समिति की स्थापना की गई है **I** अब तक, 22 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की 2,625 पैक्स/ सहकारी समितियों से सदस्यता हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है। **NCEL** को अभी तक, 16 देशों में 14.92 एलएमटी चावल और 2 देशों में 50,000 मीट्रिक टन चीनी निर्यात करने की अनुमति मिल चुकी है ।

ङ) <u>सहकारी समितियों में क्षमता निर्माण</u>

31. **सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना:** सहकारी शिक्षा, प्रशिक्षण, परामर्श, शोध एवं विकास तथा प्रशिक्षित श्रमबल की स्थायी एवं गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति हेतु एक सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सहकारिता मंत्रालय द्वारा कदम उठाये जा रहे हैं ।

32. **राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी) के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता को प्रोत्साहन:** एनसीसीटी द्वारा अपनी पहुँच बढ़ाते हुए, वित्तीय वर्ष **2022-23** में **3,287** प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा **2,01,507** प्रतिभागियों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

च) <u>'व्यवसाय करने की सुगमता' हेतु सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग</u>

33. **केंद्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण:** बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय को कम्प्यूटरीकृत किया गया है, जो समयबद्ध तरीके से अनुप्रयोगों और सेवा अनुरोधों को संसाधित करने में सहायता करेगा।

34. **राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों में आरसीएस के कार्यालय के कम्प्यूटरीकरण हेतु योजना:** सहकारी समितियों के लिए 'व्यवसाय करने की सुगमता' को बढ़ाने एवं सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में पेपर रहित पारदर्शी विनियमन हेतु एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए, आरसीएस कार्यालयों के कम्प्यूटरीकरण हेतु केंद्र प्रायोजित परियोजना को सरकार द्वारा

मंजूरी दे दी गई है । राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को हार्डवेयर की खरीद, सॉफ्टवेयर के विकास, आदि के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा।

35. **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कम्प्यूटरीकरण**: दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को मजबूत करने के लिए, कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) की 1,851 इकाइयों के कम्प्यूटरीकरण की परियोजना को सरकार द्वारा मंजूरी दे दी गई है। नाबार्ड इस परियोजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी है और एआरडीबी के लिए एक राष्ट्रीय स्तर का सॉफ्टवेयर विकसित करेगी। परियोजना के तहत हार्डवेयर, विरासत डेटा के डिजिटलीकरण के लिए सहायता, कर्मचारियों को प्रशिक्षण आदि प्रदान किया जाएगा।

छ) <u>अन्य पहलें</u>

36. **प्रमाणिक एवं अपडेटेड डेटा संग्रहण के लिए नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस:** नीति निर्माण और देश भर में सहकारी समितियों से संबंधित कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन में हितधारकों की सुविधा के लिए राज्य सरकारों के सहयोग से देश की सहकारी समितियों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है । अब तक डेटाबेस में लगभग 7.86 लाख सहकारी समितियों का डेटा शामिल किया जा चुका है ।

37. **नई राष्ट्रीय सहकारी नीति का निर्माण**: सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए एक सक्षम पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु नई राष्ट्रीय सहकारी नीति बनाई जा रही है, जिसके लिए देश भर से 49 विशेषज्ञों तथा हितधारकों को सम्मिलित करते हुए एक राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठन किया गया है ।

38. **बहु-राज्यीय सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम, 2023:** बहु राज्यीय सहकारी समितियों में शासन को सुदृढ़ करने, पारदर्शिता तथा जावाबदेही बढ़ाने, चुनावी प्रक्रिया को बेहतर करने तथा 97वें संवैधानिक संशोधन के प्रावधानों को सम्मिलित करने हेतु एमएससीएस अधिनियम, 2002 में संशोधन किए गए हैं।

39. **जेम पोर्टल पर सहकारी समितियों को 'क्रेता' के रूप में सम्मिलित करना**: सरकार ने सहकारी समितियों को जेम पर 'क्रेता' के रूप में पंजीकृत करने की अनुमति दे दी है, जिससे वे लगभग 67 लाख से अधिक विक्रेताओं से किफायती दर पर एवं अधिक पारदर्शिता के साथ सामान एवं सेवाओं का क्रय-विक्रय कर सकते हैं । अब तक 559 सहकारी समितियाँ जेम पर क्रेता के रूप में ऑनबोर्ड हो चुकी हैं ।

40. **राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की व्यापकता एवं गहनता बढ़ाने हेतु गतिविधियों का विस्तार**: एनसीडीसी ने विभिन्न क्षेत्रों में नई योजनाएं शुरू की हैं जैसे स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार' और डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार'| वित्तीय वित्त वर्ष 2022-23 में एनसीडीसी द्वारा 41,024 करोड़ रुपये का वितरण किया गया है, जो 2021-22 में 34,221

करोड़ रुपये के वितरण से लगभग 20% अधिक है। भारत सरकार ने एनसीडीसी को निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के पालन के अधीन, सरकारी गारंटी के साथ ₹2000 करोड़ के बांड जारी करने की अनुमति दी है। इसके अलावा, एनसीडीसी विभिन्न राष्ट्रीय योजनाओं को सहकारी समितियों तक उनके दरवाजे तक पहुंचाने के उद्देश्य से 6 उत्तर पूर्वी राज्यों - अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में उप-कार्यालय स्थापित कर रहा है।

41. **एनसीडीसी द्वारा गहरे समुद्री ट्रॉलरों हेतु वित्तीय सहायता**: एनसीडीसी भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग के समन्वय से गहरे समुद्र में ट्रॉलर से संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। एनसीडीसी ने पहले ही महाराष्ट्र की मत्स्य पालन सहकारी समितियों के लिए 14 गहरे समुद्री ट्रॉलरों की खरीद के लिए 20.30 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता मंजूर कर दी है।

42. **सहारा समूह की सहकारी समितियों के निवेशकों को रिफंड:** सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। उचित पहचान और उनकी जमा राशि और दावों का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है।

*****

MR. CHAIRMAN: Any supplementaries?

श्रीमती सीमा द्विवेदी : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगी कि ग्रामीण तथा शहरी सरकारी बैंकों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रयास चल रहा है। महोदय, बहुत से सहकारी बैंक्स मृतप्राय से हो गए हैं, ऐसे बैंक्स के पास जनता का पैसा अभी भी जमा है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि क्या उन बैंक्स को मज़बूत करके सरकार द्वारा उस पैसे को वापस करने पर कोई विचार किया जाएगा अथवा कोई ठोस कदम उठाया जाएगा?

श्री बी.एल. वर्मा : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो पूछा है कि बहुराज्यीय सहकारी समितियों में लोगों का जो पैसा लगा है और वह उनको नहीं मिल रहा है, तो इस संबंध में मैं कहना चाहता हूं कि यह विषय प्रसंग सहारा कोऑपरेटिव की समितियों से संबंधित है और इसमें वर्ष 2013 से निवेशकों का पैसा लगातार डूबा हुआ था, लेकिन माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने पहल करके एक पोर्टल को लॉन्च किया और इस प्रकार के निवेशकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया दी गई है। उसमें अब तक करोड़ों निवेशकों में से लगभग 3 करोड़ निवेशकों ने रजिस्ट्रेशन किया है। हमने पैसे वापसी की प्रक्रिया चालू कर दी है, काफी निवेशकों का पैसा वापस भी हुआ है। उस प्रक्रिया से गुज़र कर जितने निवेशकों के आवेदन आएंगे, सभी का एक-एक पैसा वापस दिया जाएगा। हम पहले छोटे निवेशकों को पैसा दे रहे हैं, 10-10 हज़ार रुपये से शुरू किया है, क्योंकि हमें सुप्रीम कोर्ट से 5 हज़ार करोड़ रुपये मिले हैं। आने वाले समय में जितनी आवश्यकता पड़ेगी, उतना पैसा देंगे और सभी निवेशकों को एक-एक पैसा लौटाने का काम किया जाएगा।

श्री सुशील कुमार मोदी : सभापति महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने आंशिक उत्तर दिया है, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि सहारा रिफंड के तहत आपने 5 हज़ार करोड़ रुपये विद्ड्रॉ करने की अनुमति ली थी और सहारा के 5 हज़ार करोड़ रुपये आपने विद्ड्रॉ किए हैं। अभी तक कुल कितने लोगों ने आवेदन दिया है, कितने लोगों को पैसा वापस किया जा सका है और क्या सरकार 5 हज़ार करोड़ रुपये के बाद अतिरिक्त पैसा विद्ड्रॉ करने के बारे में कोई विचार कर रही है?

श्री बी.एल. वर्मा : महोदय, अभी माननीय सदस्य ने सहारा के investors के संबंध में विस्तार से चर्चा की है। मैं कहना चाहता हूं कि अभी तक लगभग 3 करोड़ से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और उसमें 80 हज़ार करोड़ रुपये के लिए आवेदन किया गया है, लेकिन वास्तव में जिनका परीक्षण होता है, उसकी विधिवत step by step एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया से जितने लोग गुज़रते हैं, उनकी हमने 45 दिन में पैसा रिफंड करने की प्रक्रिया शुरू की है और उसको प्रारम्भ भी कर दिया है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सहारा समूह की सहकारी समितियों के वास्तविक जमाकर्ताओं को पारदर्शी तरीके से भुगतान करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया है, उनकी पहचान, जमाराशि और दावे का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद संवितरण शुरू हो चुका है।

जैसे ही आवेदन की प्रक्रिया से गुजरने के बाद वह पूरा होगा, सहकारिता मंत्री जी ने एक-एक पैसा देने का तय किया है। अभी हमें सुप्रीम कोर्ट से पांच हज़ार करोड़ रुपये मिले हैं। जब इस पैसे का वितरण हो जाएगा, तो हम फिर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और जितने पैसों की आवश्यकता पड़ेगी, हम लेंगे - यह संकल्प माननीय सहकारिता मंत्री जी का है। जो हमारे गरीब निवेशक हैं, जो लगातार भटक रहे थे और कुछ लोगों को लगता था कि उनका पैसा नहीं मिलेगा, उसके संबंध में जिस तरह से इसमें प्रक्रिया अपनाई गई है और माननीय सहकारिता मंत्री जी ने तेजी दिखाई है, तो मैं कह सकता हूं कि एक-एक निवेशक का पैसा वापस होगा और आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट से पांच हज़ार करोड़ रुपये पूरे हो जाएंगे, तो हम दोबारा से पैसे मांगेंगे और जब हमें पैसे मिल जाएंगे, तो हम पैसा बांटने का काम करेंगे।

श्री दीपक प्रकाश : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सहकारिता मंत्रालय द्वारा ग्रामीण सहकारी बैंकों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या-क्या पहल की गई हैं?

श्री बी. एल. वर्मा : महोदय, जिस तरह से ग्रामीण सहकारी बैकों की बात की गई है, बैकों में कई प्रकार के व्यवधान आते थे, जनता और किसानों को कई प्रकार की कठिनाइयां होती थीं, टैक्स से संबंधित बहुत सारे इश्यूज़ होते थे, लेकिन जब से भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय बना है और सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी माननीय श्री अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री के रूप में दी गई है, उनका सरलीकरण करने का काम किया गया है और टैक्स के बहुत सारे इश्यूज़ को खत्म करने का काम किया गया है। जहां तक ग्रामीण सहकारी बैंकों का सवाल है, तो मैं कहना चाहता हूं कि सहकारी बैंक, बोर्ड अनुमोदित नियमों के माध्यम से अब तकनीकी write-off के साथ-साथ उधारकर्ताओं के साथ निपटान की प्रक्रिया भी प्रदान कर सकते हैं। इसी प्रकार से जो पहले आवास ऋण की सीमा थी, उसे हमने ढाई गुना बढ़ाकर 32 लाख से 75 लाख तक करने का काम किया है। इसके साथ ही अब ग्रामीण सहकारी बैंक वाणिज्य रियल एस्टेट, रिहायशी आवास क्षेत्र को ऋण देने में सक्षम हो सकेंगे। इसमें न केवल व्यवसाय में विविधता लाने में सहायता मिलेगी, बल्कि हाउसिंग सहकारी समितियों को भी लाभ मिलेगा। सर, ग्रामीण सहकारी बैंकों के लिए लाइसेंस शुल्क कम करने का काम भी किया गया है, जिससे pre-production चरण के पहले तीन महीनों में वे यह सुविधा निशुल्क ले सकेंगे। इससे किसानों को बायोमैट्रिक के माध्यम से घर बैठे ही बैंकिंग की सुविधा भी मिलेगी। ऋण वितरण में सहकारी समितियों की हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए हमारे यहां कई संस्थानों को अधिसूचित किया गया है। सहकारी बैंक दिए गए लोन का 85 फीसदी तक जोखिम कवर करने का लाभ उठा सकेंगे। इसके साथ ही सहकारी क्षेत्र के बैंकों को collateral मुक्त ऋण देने का काम भी किया जा सकता है।

MR. CHAIRMAN: Question No. 188; Shri S. Selvaganabathy.